संख्या– 842/33–3–2021–114/2012

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्त प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

2– समस्त नगर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

पंचायतीराजअनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 16 अप्रैल, 2021

विषयः– कोविड–19 एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम हेतु प्रदेश स्तर पर **विशेष स्वच्छता अभियान चलाये जाने के संबंध में।**

महोदय,

प्रत्येक शनिवार से सोमवार प्रातः तक नगरीय एवं ग्रामीण निकाय में कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विशेष स्वच्छता अभियान सघन रूप से चलाया जायेगा। इस हेतु मण्डलायुक्त नोडल अधिकारी के रूप में समन्वय का कार्य करेंगे। इसके लिए नगरीय निकायों, ग्रामीण निकायों, चीनी मिलों, पुलिस (फायर बिग्रेड) व अन्य विभागों/संस्थाओं से समन्वय कर सफाई कार्य, सैनेटाइजेशन व फागिंग का कार्य कराया जायेगा।

2– नगरीय निकायों में नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी वार्ड वाइज कार्य योजना बनाकर उपरोक्त अवधि में सफाई, सैनेटाइजेशन व फागिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक वार्ड में सफाई करते हुए जो ठोस अपशिष्ट एकत्रित हो उसे तत्काल प्रोसेसिंग पलाण्ट/डम्पिंग स्थल तक पहुँचाया जायेगा।

3– ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक राजस्व ग्राम व मजरे में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से यह सुनिश्चित करे कि सफाई कर्मी अपनी तैनाती के पंचायतों में सैनेटाइजेशन व फागिंग कार्य पूर्ण करें। (इस अवधि में आवश्यक हो तो अन्य कर्मी को भी ग्राम पंचायत द्वारा लगाकर इस कार्य को कराया जाय। इसका भुगतान ग्राम स्वच्छता निधि से किया जा सकता है।) राज्य

स्तरीय अभियान का अनुश्रवण एवं प्रगति शहरी क्षेत्रों में निदेशक, स्थानीय निकाय के द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के द्वारा की जायेगी।

4— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सफाई कार्य के प्रगति की सूचना संकलित कर पंचायती राज अनुभाग—3 की ई—मेल आई0डी0 panchayatiraj03@gmail.com पर फोटो ग्राफ्स एवं विडियों भी प्रत्येक दिन शाम 06:00 बजे तक अवश्य उपलब्ध करायेगें।

भवदीय,

Manoj 16.4.2

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः—तदैव।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2— निदेशक, पंचायती राज एवं निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4— समस्त मण्डलीय, उपनिदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश।
5— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6— समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Manoj

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।